संलग्नक संख्या–18

परियोजना का नाम :–

जनपद–देहरादून मसूरी स्थित श्री अमित राजेन्द्र कुमार गुप्ता की निजी वन भूमि स्थित श्रीनगर इस्टेट, कैम्पटी–चकराता रोड, निकट मसूरी इन्टरनेशनल स्कूल, मसूरी में 4118.90 वर्गमीटर भूखण्ड में से कुल 249.96 वर्गमीटर अर्थात 0.024996 है0भाग में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पूर्वानुमति तथा उक्त से सम्बन्धित प्रत्यावर्तन की स्वीकृति का प्रस्ताव।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 से संबंधित प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीनगर इस्टेट, कैम्पटी–चकराता रोड, निकट मसूरी इन्टरनेशनल स्कूल, मसूरी का कुल 4118.90 वर्गमीटर (0.411890 है0) का एक भूखण्ड प्रस्तावक के स्वामित्व में है तथा इस भूमि का Mutation नगरपालिका मसूरी द्वारा श्री अमित राजेन्द्र कुमार गुप्ता के पक्ष में किया गया है।

प्रार्थी द्वारा अपने स्वामित्व की उक्त भूमि में आवासीय भवन निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है। चूंकि श्रीनगर इस्टेट, कैम्पटी–चकराता रोड, निकट मसूरी इन्टरनेशनल स्कूल, मसूरी वन विभाग/नगरपालिका परिशद के अधिकारियों के साथ दिनांक 31–10–2013 को स्थलीय **संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट** के अनुसार इस भूमि को वन स्वरूप के रूप में बताया गया है जिसमें प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधान लागू होंगे। अतः वन संरक्षण अधिनिमय, 1980 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति प्राप्त करने हेतु यह प्रस्ताव तैयार किया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
देहरादून

76